मेड-उर्जन 3/17 2024/100

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

राजेश बैरवा वि. राज० सरकार आदि मेघवाल नि० गुढाबांध

किस्म मुकदमा 251 (क) R.T.Act नं. 78/प्रा०प० सन 2024

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/5/24	यह प्रार्थना पत्र सरिस्ता रिपोर्ट के साथ वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली वास्ते इंतजार तामिल दिनांकः– 24/6/24 को पेश हो। [signature]	
24/6/24	पत्रावली पेश। प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट तलब की जावे। T.D.R. हिण्डोली को पत्र जारी कर बइंतजार रिपोर्ट प्राप्ति व बइंतजार तामिल पत्रावली दिनांक 3/07/2024 को पेश हो। [signature]	जारी किया 527 / 7-6-24
3/7/24	पत्रावली पेश। बइंतजार रिपोर्ट प्राप्ति कर दिनांक - 11/07/2024 को पत्रावली पेश हो। [signature]	
11/7/24	पत्रावली पेश। बइंतजार रिपोर्ट प्राप्ति कर दिनांक - 15/07/2024 को पत्रावली पेश हो। [signature]	
15/7/24	पत्रावली पेश। बइंतजार जाँच रिपोर्ट प्राप्ति कर दिनांक - 22/07/2024 को पत्रावली पेश हो। [signature]	
18/7/24	पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा०पत्र वास्ते मिसल तलब कर सुनवाई की जाकर आदेश प्रदान करने का पेश करने पर	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रकरण मे जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण की भूमियो मे जाने हेतु रास्ता नही होने से आ-जा नही पा रहे है। अत: रिपोर्टानुसार रास्ता घोषित किया जावे, ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमियों मे आ जा सके। प्रतिकर राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। प्रा०पत्र स्वीकार कर आदेश जारी किये जावें।

हमने वकील प्रार्थीगण के प्रा०पत्र व प्रस्तुत बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख०स० 561/559, 554/22, 555/22, 557/22, 560/559, 556/22, 558/23, 459/39 वाके ग्राम हरिपुरा में आने जाने हेतु ख०स० 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे २ ख०स० 558/22 तक 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। T.D.R. हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट मे भी प्रार्थीगण को अपनी भूमियों मे आने जाने हेतु ख०न० 21 मे से 15 फुट चौडा रास्ता नजरी नक्शेनुसार प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ते की प्रार्थीगण को वास्तविक आवश्यकता है। चाहा गया रास्ता लघुतम है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख०न० 561/559, 554/22, 555/22, 557/22, 560/559, 556/22, 558/23, 495/39 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हरिपुरा प०म० तालाब गांव मे आने जाने हेतु
ख०स० 21 (राजकीय सिवायचक) ग्राम
हरिपुरा प०म० तालाबगांव मे से 15 फुट
चौड़ा व 610 फुट लम्बा रास्ता प्रस्तावित
नक्शे अनुसार घोषित किया जाता है। उक्त
प्रस्तावित रास्ते में (610×15=9150 वर्गफीट) कुल
0.0850 हैक्टेयर भूमि प्रयुक्त होगी। उक्त घोषित
रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे गै०मु० रास्ते के
रूप में दर्ज किया जावें। प्रस्तावित रास्ते में आने
वाली राजकीय सिवायचक भूमि की D.L.C. दर
मुताबिक T.R.A. हिण्डोली की रिपोर्टानुसार 1020096/रु
प्रति हैक्टेयर है, जिसमें से रास्ते मे आने वाली भूमि
0.0850 हैक्टेयर की दर 86708.16 है, जिसकी
दुगुनी प्रतिकर राशि (86708.16×2) 173416.32/रु
अर्थात राशि say 173416.00/- बनेगी, जिसे
प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राजकोष में
तहसीलदार- हिण्डोली द्वारा जमा करवाया जावें।
प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि जमा चालान पेश
करने पर निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार
हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली
फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर
से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे
इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली